

वित्त मंत्रालय
मांग संख्या 37
अप्रत्यक्ष कर

(₹ करोड़)

| | वास्तविक 2020-2021 | | | बजट 2021-2022 | | | संशोधित 2021-2022 | | | बजट 2022-2023 | | | |
|---|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | |
| कुल | 7168.11 | 216.10 | 7384.21 | 20907.27 | 452.00 | 21359.27 | 73960.99 | 978.00 | 74938.99 | 39739.17 | 1400.00 | 41139.17 | |
| वसूलियां | -4.09 | ... | -4.09 | -24.50 | ... | -24.50 | -0.50 | ... | -0.50 | -0.50 | ... | -0.50 | |
| प्राप्तियां | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| निवल | 7164.02 | 216.10 | 7380.12 | 20882.77 | 452.00 | 21334.77 | 73960.49 | 978.00 | 74938.49 | 39738.67 | 1400.00 | 41138.67 | |
| क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है: | | | | | | | | | | | | | |
| केंद्र का व्यय | | | | | | | | | | | | | |
| केन्द्र का स्थापना व्यय | | | | | | | | | | | | | |
| 1. सीमा शुल्क | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01 | सीमा शुल्क का संग्रहण | 2064.98 | ... | 2064.98 | 2367.56 | ... | 2367.56 | 2295.23 | ... | 2295.23 | 2547.85 | ... | 2547.85 |
| 1.02 | सीमा शुल्क का स्थापना खर्च | ... | 5.49 | 5.49 | ... | 105.00 | 105.00 | ... | 78.00 | 78.00 | ... | 200.00 | 200.00 |
| 1.03 | निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों एवं करों की माफी (आरओडीटीईपी) | ... | ... | ... | 13000.00 | ... | 13000.00 | 12454.00 | ... | 12454.00 | 13699.40 | ... | 13699.40 |
| 1.04 | राज्य एवं केन्द्रीय करों एवं उगाहियों पर छूट (आरओएससीटीएल) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 6946.00 | ... | 6946.00 | 7640.60 | ... | 7640.60 |
| | जोड़- सीमा शुल्क | 2064.98 | 5.49 | 2070.47 | 15367.56 | 105.00 | 15472.56 | 21695.23 | 78.00 | 21773.23 | 23887.85 | 200.00 | 24087.85 |
| 2. बकायों का एकमुश्त भुगतान | | | | | | | | | | | | | |
| 2.01 | भारत से मर्चेडाइज निर्यात स्कीम (एमईआईएस) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 29599.20 | ... | 29599.20 | 3288.80 | ... | 3288.80 |
| 2.02 | भारत से सेवा निर्यात स्कीम (एसईआईएस) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 6001.20 | ... | 6001.20 | 4000.80 | ... | 4000.80 |
| 2.03 | राज्य एवं केन्द्रीय करों एवं उगाहियों पर छूट (आरओएससीटीएल) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5286.00 | ... | 5286.00 | ... | ... | ... |
| 2.04 | निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों एवं करों की माफी (आरओडीटीईपी) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2568.00 | ... | 2568.00 | 546.00 | ... | 546.00 |
| 2.05 | टारगेट प्लस स्कीम | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1549.02 | ... | 1549.02 | 1032.68 | ... | 1032.68 |
| 2.06 | फोकस प्रोडक्ट स्कीम एवं मार्केट लिंकड प्रोडक्ट स्कीम | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 565.68 | ... | 565.68 | 377.12 | ... | 377.12 |
| 2.07 | स्टेटस होल्डर्स इन्सैटिव स्कीम (एसएचआईएस) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 378.90 | ... | 378.90 | 169.20 | ... | 169.20 |
| 2.08 | राज्य उगाही स्कीम पर छूट (आरओएसएल) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 264.00 | ... | 264.00 | 66.00 | ... | 66.00 |
| 2.09 | फोकस मार्केट स्कीम | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 175.27 | ... | 175.27 | 116.85 | ... | 116.85 |
| 2.10 | विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 136.15 | ... | 136.15 | 90.76 | ... | 90.76 |
| 2.11 | मोबाइल फोनों के लिए 2 प्रतिशत अतिरिक्त तदर्थ बोनस प्रोत्साहन | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 109.80 | ... | 109.80 | 12.20 | ... | 12.20 |

| | वास्तविक 2020-2021 | | | बजट 2021-2022 | | | संशोधित 2021-2022 | | | बजट 2022-2023 | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
| 2.12 वृद्धिशील निर्यात प्रोत्साहन स्कीम (वार्षिक एवं तिमाही) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 82.75 | ... | 82.75 | 149.90 | ... | 149.90 |
| 2.13 भारत से सेवा-प्राप्त स्कीम (एसएफआईएस) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 6.66 | ... | 6.66 | ... | ... | ... |
| जोड़- बकायों का एकमुश्त भुगतान | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 46722.63 | ... | 46722.63 | 9850.31 | ... | 9850.31 |
| 3. केंद्रीय उत्पाद शुल्क /केंद्रीय माल और सेवा कर | | | | | | | | | | | | |
| 3.01 केंद्रीय उत्पाद शुल्क / केंद्रीय माल और सेवा कर का संग्रहण | 4047.14 | ... | 4047.14 | 4413.71 | ... | 4413.71 | 4438.58 | ... | 4438.58 | 4851.82 | ... | 4851.82 |
| 3.02 उत्पाद शुल्क /केंद्रीय माल और सेवा कर का स्थापना खर्च | 1045.35 | ... | 1045.35 | 1079.50 | ... | 1079.50 | 1082.05 | ... | 1082.05 | 1128.69 | ... | 1128.69 |
| 3.03 आवास - रख-रखाव और मरम्मत | 10.64 | ... | 10.64 | 22.00 | ... | 22.00 | 22.00 | ... | 22.00 | 20.00 | ... | 20.00 |
| 3.04 बने बनाए मकानों की खरीद-कार्यालय भवन | ... | 62.20 | 62.20 | ... | 139.00 | 139.00 | ... | 536.00 | 536.00 | ... | 780.00 | 780.00 |
| 3.05 बने बनाए मकानों की खरीद-आवासीय भवन | ... | 148.41 | 148.41 | ... | 208.00 | 208.00 | ... | 364.00 | 364.00 | ... | 420.00 | 420.00 |
| जोड़- केंद्रीय उत्पाद शुल्क /केंद्रीय माल और सेवा कर | 5103.13 | 210.61 | 5313.74 | 5515.21 | 347.00 | 5862.21 | 5542.63 | 900.00 | 6442.63 | 6000.51 | 1200.00 | 7200.51 |
| 4. वास्तविक वसूलियां | -4.09 | ... | -4.09 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय | 7164.02 | 216.10 | 7380.12 | 20882.77 | 452.00 | 21334.77 | 73960.49 | 978.00 | 74938.49 | 39738.67 | 1400.00 | 41138.67 |
| कुल जोड़ | 7164.02 | 216.10 | 7380.12 | 20882.77 | 452.00 | 21334.77 | 73960.49 | 978.00 | 74938.49 | 39738.67 | 1400.00 | 41138.67 |
| ख. विकास शीर्ष | | | | | | | | | | | | |
| सामान्य सेवाएं | | | | | | | | | | | | |
| 1. सीमा शुल्क | 2063.86 | ... | 2063.86 | 15367.56 | ... | 15367.56 | 68417.86 | ... | 68417.86 | 33738.16 | ... | 33738.16 |
| 2. केंद्रीय वस्तु और सेवा कर एवं एकीकृत वस्तु और सेवा कर के अंतर्गत संग्रहण प्रभार | 5089.52 | ... | 5089.52 | 5493.21 | ... | 5493.21 | 5520.63 | ... | 5520.63 | 5980.51 | ... | 5980.51 |
| 3. अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | ... | 5.49 | 5.49 | ... | 105.00 | 105.00 | ... | 78.00 | 78.00 | ... | 200.00 | 200.00 |
| 4. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय | ... | 62.20 | 62.20 | ... | 139.00 | 139.00 | ... | 536.00 | 536.00 | ... | 780.00 | 780.00 |
| जोड़-सामान्य सेवाएं | 7153.38 | 67.69 | 7221.07 | 20860.77 | 244.00 | 21104.77 | 73938.49 | 614.00 | 74552.49 | 39718.67 | 980.00 | 40698.67 |
| सामाजिक सेवाएं | | | | | | | | | | | | |
| 5. आवास | 10.64 | ... | 10.64 | 22.00 | ... | 22.00 | 22.00 | ... | 22.00 | 20.00 | ... | 20.00 |
| 6. आवास पर पूंजीगत परिव्यय | ... | 148.41 | 148.41 | ... | 208.00 | 208.00 | ... | 364.00 | 364.00 | ... | 420.00 | 420.00 |
| जोड़-सामाजिक सेवाएं | 10.64 | 148.41 | 159.05 | 22.00 | 208.00 | 230.00 | 22.00 | 364.00 | 386.00 | 20.00 | 420.00 | 440.00 |
| कुल जोड़ | 7164.02 | 216.10 | 7380.12 | 20882.77 | 452.00 | 21334.77 | 73960.49 | 978.00 | 74938.49 | 39738.67 | 1400.00 | 41138.67 |

- 1.01. **सीमा शुल्क का संग्रहण:** इसमें स्थापना और सीमाशुल्क विंग के अन्य व्यय , सीमा शुल्क कल्याण कोष में अंतरण और अन्य विभाग को भुगतान से संबंधित प्रावधान आते हैं।
- 1.02. **सीमा शुल्क का स्थापना खर्च:** तस्करीरोधी उपकरणों, कंटेनर स्केनर्स, मेरीन फ्लीट की खरीद और एक्सबीआईएस आदि की खरीद पर आने वाले खर्च को पूरा करने के लिए प्रावधान किया गया है।

- 1.03. **निर्यात उत्पादों पर शुल्कों एवं करों की माफी (आरबीडीटीईपी):** निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की माफी- स्क्रिप आधारित योजनाओं के लिए प्रावधान किया गया है।
- 1.04. **राज्य एवं केंद्रीय करों एवं उगाहियों पर छूट (आरओएससीटीएल):** यह प्रावधान राज्य और केंद्रीय करों और उगाही पर छूट के लिए किया गया है।
2. **बकायों का एकमुश्त भुगतान:** यह प्रावधान स्क्रिप आधारित योजनाओं के बकाया के एकमुश्त भुगतान के लिए किया गया है।

3.01. **केंद्रीय उत्पाद शुल्क / केन्द्रीय माल और सेवा कर का संग्रहण:** यह प्रावधान केंद्रीय वस्तु और सेवा कर संगठन के स्थापना खर्च, जिसमें केंद्रीय वस्तु और सेवा कर, एकीकृत वस्तु और सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क की वसूली पर आने वाले अन्य खर्च शामिल हैं, और उपभोक्ता कल्याण कोष के लिए प्रावधान है।

3.02. **उत्पाद शुल्क / केन्द्रीय माल और सेवा कर का स्थापना खर्च:** यह प्रावधान मुख्य रूप से निष्पादन प्रबंधन, लेखा-परीक्षा, प्रणाली एवं डाटा प्रबंधन, नासिन, सतर्कता, प्रचार एवं जनसंपर्क निदेशालय, करदाता सेवा निदेशालय, माल एवं सेवा कर निदेशालय, माल एवं सेवा कर आसूचना महानिदेशालय, सेटलमेंट कमीशन पर स्थापना और अन्य खर्च के लिए किया गया है।

3.03. **आवासन-अनुरक्षण एवं मरम्मत :** यह प्रावधान विभाग के स्वामित्व में आने वाले आवासीय भवनों की देखरेख और मरम्मत के लिए है।

3.04. **बने बनाए मकानों की खरीद-कार्यालय भवन:** इसमें केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड से संबंधित बने बनाए कार्यालय भवन और भूमि की खरीद के लिए तथा कार्यालय भवनों के निर्माण आदि से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।

3.05. **बने बनाए मकानों की खरीद-आवासीय भवन:** इसमें केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के लिए बने बनाए आवासीय भवनों और भूमि की खरीद तथा आवासीय मकानों के निर्माण आदि से संबंधित प्रावधान आते हैं।